उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला। (विधि शाखा) अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–92 / 2022–23

सरकार —बनाम– राजेन्द उरांव वगै0 आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2686/अ0 शा0 दिनांक – 24.09.2022 के द्वारा वादी राजेश हंसदा पिता—रव0 राम हंसदा सा0 गौरखूँटी भौंरा थाना सदामडीह जिला धनबाद समप्रति खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय, गुमला कम्यूटर टंकित आवेदन के आधार पर घाघरा थाना काण्ड सं0—19/22 दिनांक—13.02.2022 धारा—379/411/34 भा0 द0 वि0 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 13/ झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) अधिनियम 2017 के तहत् जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं0 —JHO8H-2267 एवं महिन्द्रा ट्रैक्टर नं0 JH-071-9928 के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी संख्या –01 उपस्थित हुए परन्तु न्यायालय के समक्ष कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस वाद में नोटिस निर्गत करने के वावजूद भी उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण उनका पक्ष को नहीं सुना गया।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि राजेश हंसदा पिता—स्व0 राम हंसदा सा0 गौरखूँटी भौंरा थाना सदामडीह जिला धनबाद समप्रति खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय, गुमला कम्यूटर टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रुप से बालू का परिवहन करने का आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली—2004 (यथा) संशोधित) के नियम—4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा—4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम—7 एवं 13 के तहत् मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं० – JHO8H-2267 एवं महिन्द्रा ट्रैक्टर नं० JH-071-9928 के विरुद्ध के द्वारा बालू चोरी के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:-

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) $\hat{\sigma}$ अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi 奋 中東 आवेदन ਚ (3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi 奋 中東 आवेदन (3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi 奋 中東 आवेदन (3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क मूल आवेदन (3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क मूल आवेदन (3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क मूल आवेदन (3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क मूल आवेदन (4) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क मूल आवेदन (4) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क मूल आवेदन (5) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क Hूल (5) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क Hूल (5) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क Hूल (5) National Green (5) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क Hूल (5) National Green (5) National Green (5) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क Hूल (5) National Green (5) National Green (5) National Green (5) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi क Hूल (6) National Green (6) National Green (6) National Green Tribunal Principal Bench New Tribunal Bench (6) National Green (6) National Green Tribunal Principal Bench New Tribunal Bench (6) National Green Tribunal Principal Bench New Tribunal Bench (6) National Green Tribunal Bench New Tribunal Bench (7) National Green Tribuna Bench (7) National Green Tri

अंकनीय है कि जप्त किये गये वाहनों के द्वारा अबन्दोबस्त नदी घाट से बालू का उठाव कर एवं अवैद्य रुप से बालू का भंडारित कर परिवहन कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नही रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नही होने के कारण उसको अवैध रुप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों में उल्लिखित नियमों के विरुद्व किया गया है। अभी तक किसी के द्वारा उक्त वाहन एवं बालू के संबंध में claim (दावा) नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त हाईवा ट्रक सं० – जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि० नं० – JHO8H-2267 एवं महिन्द्रा ट्रैक्टर नं० JH-071-9928 को राजसात करता हूँ। आदेश के पति जभी जंगीय वर्गीप्र राणिज्य ने रे

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे। लेखापित एवं संशोधित

गमला

गमला